संख्या- 45 /2025 /3821/चार-2024-28(बजट)/12-1679656

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 जनवरी, 2025

विषय:- जनपद आजमगढ़ में निर्मित हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3682/सं0नि0-6(30)/2011-12 टी0सी0 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद आजमगढ़ में निर्मित हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त जी०एस० टी० की मांग के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ में निर्मित हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु शासन के पत्र संख्या- 2111/चार-2021 दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 द्वारा रू0 2241.80 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 2241.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार जनपद आजमगढ़ में निर्मित हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0 2241.80 लाख में रू0 74.88 लाख अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित करते हुए रू0 2316.68 (रूपये तेईस करोड़ सोलह लाख अड़सठ हजार मात्र) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति तथा अतिरिक्त जी०एस०टी० रू0 74.88 लाख (रूपये चौहत्तर लाख अट्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था – कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम को उनके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) शासनादेश संख्या-3855/चार-2013-28(बजट)/12, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013, शासनादेश संख्या-84//3201/चार-2015-28(बजट)/12, दिनांक 28 अगस्त, 2015, शासनादेश संख्या-25/2018/239/चार-2018-28(बजट)/12, दिनांक 07 मार्च, 2018, शासनादेश संख्या-07/2019/3865/चार-2018-28(बजट)/12, दिनांक 19 जनवरी, 2019, शासनादेश संख्या-129/2020/1283/चार-2020-28(बजट)/12, दिनांक 10 अक्टूबर, 2020, शासनादेश संख्या-72/2021/680/चार-2021-28 (बजट) /12, दिनांक 23 मार्च, 2021, शासनादेश संख्या- 128/2021/1195/चार-2021-28(बजट)/12, दिनांक 26 जुलाई, 2021, शासनादेश संख्या- 164/2022/ 1687/चार-2022-28(बजट)/12, दिनांक 18 अगस्त, 2022, शासनादेश संख्या-83/2023/ 347/चार-2023-28(बजट)/12, दिनांक 28 फरवरी, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 32 /2024/160/चार-2024- 28(बजट)/12, दिनांक 13 जनवरी, 2024 तथा शासनादेश संख्या- 153/2024/1033/चार-2024-28(बजट)/12 दिनांक 20 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(8) प्रायोजना की बढ़ी हुई धनराशि जी0एस0टी0 मद में ही उपयोग की जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 74,88,000/- (रुपये चौहत्तर लाख अट्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000800 आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7- 241 /दस-2024-25, दिनांक- 27 जनवरी, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 45 / 2025 / 3821 (1) /चार-2024- 28(बजट)/12-1679656 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
5. महाप्रबंधक (नि0-13) नोडल अधिकारी, सी0एंड डी0एस0 (उ0 प्र0 जल निगम) लखनऊ
6. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. निदेशक, सी0 एंड डी0 एस0 (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. परियोजना प्रबंधक, सी0एंड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट आजमगढ़।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in